क्या निर्णय लिया गया, यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है अथवा यूनियन की मांगों को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। एन टी सी मिलों के तकनीशियन तथा अधिकारी-कर्मचारी यूनियन (गुजरात) से दिनांक 1 जुलाई, 1987 के दो पत्र प्राप्त हुए। इन दो पत्रों में उल्लिखित प्रमुख मुद्दे नीचे दिए गए हैं :—

(1) एक अनुषंगी निगम के नियमों और एन टी सी के अन्य अनुषंगी निगमों के बीच एक समान नीति की आवश्यकता,

(2) तकनीशियनों तथा अधिकारियों के संबंध में 60+1+1 वर्ष की आयु को कम करके 58 वर्ष करने पर पुनः विचार किया जाए,

(3) एन टी सी (गुजरात) के निदेशक मण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए एन टी सी मिलों के तकनीशियन तथा अधिकारी कर्मचारी यूनियन के दो पदाधिकारियों को अनुमति देना,

(4) प्रबन्ध परिषदों के एकक स्तर पर वर्तमान सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए तकनीशियनों/अधिकारियों में से एक व्यक्ति को अनुमति देना ।

एन टी सी (गुजरात) द्वारा इन मामलों पर निर्णय सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि सेवा निवृत्ति आयु का मुख्य मुद्दा उच्च न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन है।

हज तीर्थयात्रियों को सुविधाएं

160. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राज्य-वार कितने लोगों ने हज तीर्थयात्रा पर जाने के लिए अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन किया है और राज्य-वार इसमें से कितने लोगों को अनुमति दी गई है ;

(ख) हज यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने के मामले में हज समिति तथा अन्यों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या निर्णय लिया गया है और वे सुविधाएं कब तक दे दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि करने की कोई मांग की गई और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुअर्डो फलेरियो) : (क) आशा है कि हज यात्रियों का आखिरी दल 31 जुलाई, 1987 के आसपास रवाना हो जाएगा । अपेक्षित सूचना तभी उपलब्ध हो सकेगी जबकि सभी हज यात्री सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएं ।

(ख) संलग्न विवरण में यह सूचना दी गई है। [**देखिये** परिशिष्ट 143, अनुषंग संख्या 2]

(ग) हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने की मांग सरकार को प्राप्त हुई है लेकिन सरकार के लिए इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता है ।

Sub-regional wildlife preservation Office in Andhra Pradesh

161. SHRI GOPALA RAO RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a Sub-Regional Wildlife Preservation Office in Andhra Pradesh; and

(b) if so, what are the details of the proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) No, Sir.